

पुनर्वित्त प्राप्त करने हेतु संशोधित पात्रता मानदंड
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों हेतु अपनी न्यूनतम पात्रता शर्तों को संशोधित किया है। संशोधित शर्तें नीचे दिए अनुसार हैं:

- क) निवल अग्रिमों का निवल एनपीए अनुपात 3.50% से अधिक नहीं होना चाहिए
- ख) पिछले 1 साल में बैंक की परिचालन लाभप्रदता होनी चाहिए।

मौजूदा एवं नए ग्राहकों हेतु अन्य पात्रता शर्तें पूर्ववत ही बनी रहेंगी।